न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन)

COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department

बिहार सरकार/Government of Bihar

दिनांक-12 जनवरी'19

पत्रांक-सं0स0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 - 35/आ0 नि0 को0

प्रेषक,

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पटना से सम्बन्धित पदाधिकारी

1 जिला पदाधिकारी
2 वरीय पुलिस अधीक्षक
3 उप विकास आयुक्त
4 अपर समाहर्त्ता
5 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार
6 असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
7 सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
8 जिला शिक्षा पदाधिकारी
9 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0) पटना
10 लीड बैंक प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक, पटना
11 श्रम अधीक्षक, पटना
12 जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी
13 जिला नियोजन पदाधिकारी
14 कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल/पथ प्रमण्डल
15 जिला कल्याण पदाधिकारी
16 जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी
17 जिला आपूर्ति पदाधिकारी
18 जिला परिवहन पदाधिकारी
19 जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी
20 जिला अभियंता, जिला परिषद
21 जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी
22 जिला कृषि पदाधिकारी
23 जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी
24 जिला खेलकूद पदाधिकारी
25 कार्यपालक अभियंता जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण
26 सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई
27 जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी
28 निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
29 जिला प्रबंधक, "बुनियाद केन्द्र"
30 जिला पंचायती राज पदाधिकारी
31 जिला प्रबंधक "जीविका"

विषय :- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत जिला पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन के सम्बन्ध में।**

प्रसंग :- **जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समाहरणालय, पटना का पत्रांक-XXXX-01/2018-03/दि0स0को0 दि0-11.01.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-930/आ0नि0को0 दि0-13.12.2018**

कृ0पृ030............

महाशय,

कृपया उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में जिला अधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, समाहरणालय, पटना का पत्रांक-**XXXX-01/2018-**03/दि0स0को0 दि0-11.01.2019 का संदर्भ लेने की कृपा करें, जिसके अन्तर्गत इस कार्यालय का पत्रांक-930/आ0नि0को0 दि0-13.12.2018 के आलोक में दिनांक-15.01.2019 से 19.01.2019 तक पटना जिले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत जिला पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन के सम्बन्ध में कार्यक्रम निर्धारित कर तत्वर्णित कार्यक्रमानुसार आवश्यक बैठक में भाग लेते हुए चलन्त न्यायालय के सफल संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

उक्त सम्बन्ध में दिनांक-16.01.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक सभा कक्ष, समाहरणालय, पटना में आयोजित जिला पदाधिकारी एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक (दिव्यांगजनों की स्थिति एवं प्रगति की समीक्षा) हेतु अनुरोध है कि पदाधिकारी निम्न दस्तावेजों/प्रतिवेदनों के साथ बैठक में भाग लेने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय का पत्रांक-930/आ0नि0को0 दि0-13.12.2018 द्वारा भी पूर्व में अनुरोध किया जा चुका है।

1. **जिला पदाधिकारी:**-निःशक्तजनों को प्रदत्त सुविधाओं से सम्बन्धित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
   - (i) जिला के विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कार्यान्वयित की जा रही योजनाओं की पूर्ण सूची एवं उन योजनाओं का लाभ पाने के लिए संबंधित लाभुकों की सूची।
   - (ii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 अध्याय-6(धारा-31 से 37) में वर्णित संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध संबंधी प्रावधान का अनुपालन प्रतिवेदन।
   - (iii) जिले में दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण कार्य हेतु आयोजित कैम्पों से सम्बन्धित विवरण।
   - (iv) नियुक्ति हेतु निर्मित पैनल में दिव्यांगजनों के आरक्षण सम्बन्धित प्रावधान का अनुपालन प्रतिवेदन
   - (v) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-11, 23 एवं 72 से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।
2. **वरीय पुलिस अधीक्षक:**-विगत तीन वर्षो तक का दिव्यांगजन को आपके विभाग द्वारा दी जाने वाली विशेष सुविधा से सम्बन्धित सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।

   दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-6, 7, 9 व 10 एवं अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्य सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।
3. **उप विकास आयुक्त:**-इन्दिरा आवास एवं अन्य विकास योजनाओं में निःशक्तजनों की सहभागिता, लाभान्वितों की तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-37 की कंडिका-(क), (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को सभी सुसंगत स्कीमों और विकास कार्यक्रमों में जैसे कृषि, भूमि और आवासन के आवंटन, सभी निर्धनता उपशमन, विभिन्न विकासशील स्कीमों, रियायती दर पर भूमि का आवंटन उपजीविका के गठन, कारबार, उद्यम, आमोद-प्रमोद केन्द्रों, उत्पादन केन्द्रों के संवर्धन के प्रयोजन में पाँच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिये जाने से सम्बन्धित पिछले तीन वर्षो की सूची उपलब्ध कराएँ।

   अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

क्र0पृ030...........

4. **अपर समाहर्त्ता**:-नि:शक्तजनों को की गई भूमि <u>बन्दोवस्ती/वितरण</u> से सम्बन्धित लाभान्वितों की तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-37(a), (b) व (c) एवं अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्य सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

5. **सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार** :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-7 व 12 एवं अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्य सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

6. **असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी** :-
   (क) विकलांगता प्रमाण-पत्र (21 प्रकार की दिव्यांगता) की प्रगति के सम्बन्ध में लाभान्वितों की तीन वर्षो की सूची उपलब्ध कराये।
   (ख) समीक्षा बैठक के अवसर पर प्रखण्ड कार्यालय में नि:शक्तजनों को आवश्यकतनुसार नि:शक्तता प्रमाण-पत्र प्रदत्त करने के लिए प्रखण्ड कार्यालय में चलंत मेडिकल बोर्ड का आयोजन सुनिश्चित कराऐंगें।
   (ग) सदर अस्पताल का निरीक्षण - नि:शक्तजनों के लिए प्रदत्त सुविधाओं का आकलन हेतु सदर अस्पताल के आयुक्त महोदय, द्वारा निरीक्षण में अपेक्षित सहयोग हेतु निदेश।
   (घ) UDID Cards की स्थिति पर समीक्षा।
   (ड़) सदर अस्पताल एवं जिला अस्पताल का निरीक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित कराऐंगे।
   (च) जिले में दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण कार्य हेतु आयोजित कैम्पों से सम्बन्धित विस्तृत विवरण यथा : निर्गत प्रमाण-पत्रों की संख्या इत्यादि।
   (छ) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-10, 25, 57, 58 व 59 एवं अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्य सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

7. **सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग/दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय** :-
   (क) मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना/नि:शक्तजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इन्दिरा गाँधी मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना, स्वचालित वाहन उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजना, अनियोजन भत्ता एवं अनुकम्पा पर नियुक्ति संबंधित मामलों में नि:शक्तजनों की स्थिति, UDID Card से लाभान्वित नि:शक्तजनों की सूची, प्रगति प्रतिवेदन एवं एतद संबंधी तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं। जिला मुख्यालय स्थित विशेष विद्यालय, बालगृहों/आवास गृहों का निरीक्षण करने की व्यवस्था की जाए।
   (ख) जिले में दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण कार्य हेतु आयोजित कैम्पों से सम्बन्धित विवरण।
   (ग) जिले में दिव्यांगजनों के मध्य वितरित कृत्रिम अंग/सहायतार्थ उपकरणों से सम्बन्धित विवरण।
   (ध) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-5, 24, 27, 28 व अध्याय-15 एवं अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्य सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

8. **जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक** :-
   (क) शिक्षक नियुक्ति में नि:शक्त अभ्यार्थियों की प्रखण्डवार रिक्ति एवं नियुक्ति; स्कूल भवनों में रैम्प, छात्रवृत्ति, नामांकन संबंधी तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
   (ख) शिक्षा विभाग का यह भी दायित्व है कि विकलांग छात्र-छात्राओं के लिए समेकित शिक्षा/ विशेष विद्यालयों की स्थापना/व्यवसायिक प्रशिक्षण/अनौपचारिक शिक्षा/नि:शुल्क उपस्कर शिक्षा सामग्री शिक्षण सामग्री विकास हेतु डिजायन का अनुसंधान/विशेष शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना/नि:शक्त छात्रों के लिए शिक्षा योजना तैयार करना/छात्रों को परिवहन की सुविधा/छात्रों के अभिभावकों को वित्तीय सहायता/वृतिका युक्त प्रशिक्षण/नेत्रहीन छात्रों के लिए परीक्षा पद्धति में संशोधन/सभी शिक्षण संस्थाएँ नेत्रहीन छात्रों या कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए लेखकों की व्यवस्था करेगी। इससे संबंधित भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।
   (ग) प्राथमिक उच्च एवं उच्चतर शिक्षा प्राप्ति हेतु सम्बन्धित विद्यालयों एवं महाविद्यायलों में नामांकित दिव्यांग छात्रों की सूची।
   (घ) निजी व सरकार द्वारा वित्तपोषित विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ अलग से बैठक सुनिश्चित कराएँ।

(ड़) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-16, 17, 18, 31 व 47 एवं अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्य सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

9. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस) :- पिछले तीन वर्षो में बाल विकास परियोजनाओं में दिव्यांगों से सम्बन्धित कार्यक्रम का व्यौरा तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सी0डी0पी0ओ0) से अलग से बैठक सुनिश्चित कराएँ एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों में दिव्यांगजनों की स्थिति एवं प्रगति प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराऐं।

अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

10. लीड बैंक प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक :- आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में बैंक खाता खोले जाने, रोजगार एवं अन्य कार्यो हेतु ऋण प्रदान किये जाने एवं अन्य प्रदत्त बैंकिंग सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।

बैंकों द्वारा दिव्यांगजनों को स्वरोजगार एवं अन्य आवश्यकताएँ हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण से सम्बन्धित दिशा-निर्देश व तत्संबंधी विवरण। इस सम्बन्ध में विशेषकर प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना व कौशल विकास से सम्बन्धित प्रतिवेदन।

अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

11. **श्रम अधीक्षक**:-जिले में अवस्थित कुशल एवं अकुशल श्रमिकों में कितने प्रतिशत दिव्यांगजन है। एतद् संबंधी तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-19, 22, 35 व 36 एवं अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्य सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

12. **जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी** :- जिले में जो सहयोग समितियाँ कार्यरत हैं, उनमें दिव्यांगों का कितना प्रतिशत भागीदारी है। एतद् संबंधी तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।

अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

13. **जिला नियोजन पदाधिकारी** :- जिले में बेरोजगारों द्वारा जो इनराल्मेन्ट किया गया है, उनमें कितने प्रतिशत दिव्यांग का इनराल्मेन्ट किया गया है तथा कितने को रोजगार मुहैय्या कराया गया है। एतद् संबंधी तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-19, 22, 35 व 36 एवं अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्य सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

14. **कार्यपालक अभियंता, भवन विभाग/पथ निर्माण** :-

(क) रैम्प्स निर्माण, लिफ्ट, टायलेट एवं आवश्यक प्रावधान आदि।

(ख) बाधामुक्त वातावरण (Barrier free enviornment) आदि।

सभी सरकारी भवनों/कार्यालयों एवं आवासों में दिव्यांगजनों हेतु रैम्प, लिफ्ट, टॉयलेट एवं आवश्यक प्रावधान से सम्बन्धित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।

(ग) सड़को पर जेब्रा क्रॉसिंग चिन्हित करना एवं दिव्यांगों हेतु अन्य यातायात चिन्हों को अंकित करना आदि।

(घ) जिला अन्तर्गत उन सार्वजनिक भवनों की सूची जिनमे बाधारहित वातावरण निर्माण हेतु कार्रवाई की गई है एवं कृत कार्रवाई का विवरण।

(घ) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-44, 45 व 46 एवं अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्य सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

15. **जिला कल्याण पदाधिकारी** :- प्रखण्डवार विकलांग छात्रवृत्ति से संबंधित लाभान्वितों की तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं। अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

16. **जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी** :- अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

17. **जिला आपूर्ति पदाधिकारी** :-

(क) कुल स्वीकृत एवं कार्यरत जनवितरण बिक्रेताओं की संख्या में निःशक्तजनों की स्थिति की तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।

(ख) जनवितरण प्रणाली द्वारा प्रखण्डवार लाभान्वित निःशक्तजनों की संख्या।

(ग) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-43 एवं अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्य सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

18. **जिला परिवहन पदाधिकारी** :- परिवहन के मामले में निःशक्तजनों के लिए क्या-क्या सुविधाएँ दी गई है एवं भविष्य में क्या योजनाएँ है तथा दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाईसेन्स निर्गत किये जाने का विवरण तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष की भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-41 एवं अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्य सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

19. **जिला अभियंता, जिला परिषद**:-आपके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में निःशक्तजनों की सहभागिता एवं लाभान्वितों की तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं एवं जिले में दिव्यांगजन के लिए सड़क, शौचालय एवं भवनों का सुगम्य बनाना। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-44, 45 व 46 एवं अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्य सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

20. **जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी** :- निःशक्तजनों के लिए जिला समाहरणालय में चलन्त न्यायालय का प्रचार-प्रसार अपने स्तर से करने की कृपा की जाय तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं। प्रखण्ड स्तर तक दिव्यांगजनों के लिए बिहार सरकार एवं भारत सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराऐं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-39 व 42 एवं अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्य सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

21. **जिला कृषि पदाधिकारी** :- जिले में खाद्य, विज आदि वितरण में दिव्यांगजनों के भागीदारी के सम्बन्ध में सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं। अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

क्र0पृ030............

22. **जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी** :- दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सहाय राशि की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-8 एवं अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्य सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

23. **जिला खेल-कूद पदाधिकारी** :- जिला में दिव्यांगों के खेल-कूद से सम्बन्धित आयोजित होने वाले कार्यक्रम में दिव्यांगजनों की भागीदारी खेल प्रशिक्षण एवं मैदान की सुविधा से सम्बन्धित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-29 व 30 एवं अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्य सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

24. **जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी** :- पिछले दो वर्षो में दिव्यांगों से सम्बन्धित जितनी भी शिकायत का निवारण किया गया है, उसकी सूची उपलब्ध करायी जाए तथा चलन्त न्यायालय के दिन अपने कर्मियों के साथ दिव्यांगजनों की शिकायतों को रजिस्टर्ड करने की व्यवस्था की जाए तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।

अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

25. **सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई** :- आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांग बच्चों से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए। बाल गृह/आश्रय गृहों में रह रहे दिव्यांगजनों की सूची उपलब्ध कराऐं।

अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

26. **कार्यपालक अभियंता, जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण, सिवान** :- पिछले तीन वर्षो में दिव्यांगों से सम्बन्धित मिलने वाले लाभ की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-10, 25, 57, 58 व 59 एवं अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्य सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

(ग) UDID Cards की स्थिति पर समीक्षा।

(घ) जिले में दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण कार्य हेतु आयोजित कैम्पों से सम्बन्धित विवरण।

27. **जिला ग्रामीण विकास** :- पिछले तीन वर्षो में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं योजनाओं में दिव्यांगों को मिलने वाले लाभ की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।

(ख) निर्धनता उपशमन और विभिन्न विकासशील स्कीमों में दिव्यांगों को प्रदत्त आरक्षण सम्बन्धी विवरण।

(ग) अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

28. **जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, सिवान** :- आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों को प्रदान किये जाने वाले लाभ से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-11 एवं अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्य सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

क्र०पृ०३०.............

29. जिला पंचायती राज पदाधिकारी :- आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षों का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।

अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

30. जिला प्रबंधक ''जीविका'':- जिला में जीविका द्वारा दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।

31. जिला प्रबंधक ''बुनियाद'':- जिला में बुनियाद द्वारा दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं।

अनुरोध है कि सभी पदाधिकारी उक्त निदेशित प्रतिवेदनों के साथ समीक्षात्मक बैठक भाग लेना सुनिश्चित करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन
12.01.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 - 35/आ० नि० को० दिनांक-12 जनवरी'19

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

12.01.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 - 35/आ० नि० को० दिनांक-12 जनवरी'19

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

12.01.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 - 35/आ० नि० को० दिनांक-12 जनवरी'19

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

12.01.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 - 35/आ० नि० को० दिनांक-12 जनवरी'19

प्रतिलिपि:- उप मुख्य आयुक्त, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

12.01.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।